# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 233 / 2022
अनवान : –

1. रामदास पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर ।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मन्जू पत्नी रामनिवास जाति नाई निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. चन्द्रकला पत्नी शलेन्द्र जाति नाई निवासी बनड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू।
3. सुमन पत्नी महेन्द्र सिंह जाति नाई निवासी बनड़ा तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. सरस्ती पत्नी नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजेन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
6. विजय पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. गुड्डी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. राजबाला उर्फ राजू देवी पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर।
9. शारदा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ ।
10. कृष्णा पुत्री नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. विनोद पुत्र नागरदास जाति स्वामी निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।।

– अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

**निर्णय** दिनांकः 18/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल रामदास पुत्र नागरदास ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर में एक वाद 88, 89 वाद संख्या 675 / 2022 दिनांक 19.07.2022 को पेश किया जिसमें सभी पक्षकारों ने दिनांक 02.08.2022 को जवाब इकबाल दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद सायल डिक्री फरमाया जाता है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर द्वारा वाद संख्या 675 / 2022 अनवानी रामदास बनाम सुरस्ती आदि में दिनांक 25.08.2022 को साक्ष्य सबूतो के आधार पर पर्चा डिक्री जारी की गई।

गैरसायल संख्या 4 ता 11 ने उक्त अनवानी पर्चा डिक्री दिनांक 25.08.2022 को अनदेखा करते हुए राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों से मिलीभगती करके दिनांक 31.08 2022 को जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 1675 दिनांक 02.09.2022 दर्ज व मंजूर हुआ जो कि विधि विरूद्ध है। गैरसायल संख्या 4 ता 11 उक्त पर्चा डिक्री के पश्चात रोही मौजा नीमला के खसरा नं. 590 के मिन मध्य की 5.2609 है० भूमि व खसरा नं. 37 / 3 के मिन दक्षिण की 1.1195 है० भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थे जिसकी रूह से इन्ही खसरों का बेचान करने के अधिकारी थे व इसी प्रकार रोही मौजा खुईया के खाता संख्या 67 / 64 के खसरा नं. 368 के मिन पूर्व की [illegible] है0 भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थे जिसमें से भी विधि के विरुद्ध [illegible] 4, 7 ता 10 ने गैरसायल संख्या 5, 6 व 11 के पक्ष में दिनांक 31.08.2022 को [illegible] जिसका नामान्तरण [illegible] दिनांक 07.09.2022 को स्वीकृत व दर्ज हुआ जो तथ्यों के छिपाकर गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर खाता संख्या 67 / 64 के खसरा नं. 368 की 3.719 है0 भूमि में से 1 / 18 1 / 18 जो कि डिक्री से पूर्व में था उसके मुताबिक नियमों के विरूद्ध हक त्याग किया गया है। सायल निर्णय दिनांक 25.08.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की पर्चा डिक्री पटवारी हल्का को दिनांक 07.09.2022 को पेश की तो पता चला कि उक्त भूमि अब गैरसायल संख्या 4 ता 11 के नाम नहीं जबकि गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है। माननीय न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 25.08.2022 की पालना में रोही मौजा खईया तहसील नोहर के खाता संख्या 67/64 के खसरा नं. 368 की 3.7190 है० भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवणदास व सायल का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्त भूमि के मिन पूर्व की 1.8595 है० भूमि गैरसायल संख्या 4 ता 11 के ब० हि० ब० दर्ज करवाने व शेष मिन पश्चिम की 1.8595 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा गैरसायल संख्या 12 के नाम दर्ज करवाने व गैरसायल संख्या 13 ता 15 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व 1/8 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 16 ता 18 के संयुक्त रूप से दर्ज करवाने तथा रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 57/53 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 19.8430 है० भूमि में मृतक गुलाबदास पुत्र जीवणदास का नाम कलमजन करवाकर खसरा नं. 590 की 12.6470 है० भूमि में से मिन पूर्वी उत्तरी एक बीघा चौडी 1.0627 है० भूमि सायल के नाम दर्ज करवाने व मिन पश्चिम की 6.3234 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा गैरसायल संख्या 12 के नाम दर्ज करवाने तथा गैरसायल संख्या 13 ता 15 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व 1/8 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 16 ता 18 के संयुक्त रूप से दर्ज करवाने तथा मिन मध्य कि 5.2609 है० भूमि गैरसायल संख्या 4 ता 11 के ब० हि० ब० दर्ज करवाने तथा खसरा नं. 37/2 के मिन उत्तर की 0.316 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 12 के नाम दर्ज करवाने तथा गैरसायल संख्या 13 ता 15 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने तथा गैरसायल संख्या 16 ता 18 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने तथा मिन दक्षिण की 0.316 है० भूमि गैरसायल संख्या 4 ता 11 के नाम ब० हि० ब० दर्ज करवाने व खसरा नं. 37/3 के मिन उत्तर की 1.1195 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 12 के नाम दर्ज करवाने तथा गैरसायल संख्या 13 ता 15 प्रत्येक 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व गैरसायल संख्या 16 ता 18 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने व मिन दक्षिण की 1.1195 है० भूमि में गैरसायल संख्या 4 ता 11 के ब० हि० ब० दर्ज करवाने व खसरा नं. 437 की 4.3250 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 12 के नाम दर्ज करवाने व गैरसायल संख्या 13 ता 15 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने तथा गैरसायल संख्या 16 ता 18 के संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा भूमि दर्ज करवाने का अधिकारी है।

उपरोक्त बैयनामा न्यायालय उपखण्डाधिकारी नोहर के आदेश की अनदेखी कर किया गया है। गैरसायल संख्या 4 ता 11 ने सायल के खातेदारी हकों का हनन कर रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता संख्या 57/53 की भूमि व रोही मौजा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के खाता संख्या 67/64 की भूमि उपरोक्त दोनो खाते की भूमि का मुताबिक पर्चा डिक्री राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए सायल गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवा पाने का अधिकारी है कि उपरोक्त दोनो खातों की भूमि को रहन, वैय व मुन्तकिल करने से निषिद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 57/53 की कुल 19.8430 हैक्ट [illegible] मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 67/64 की कुल 3.7190 [illegible] विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रा[illegible] के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी [illegible] ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायलान स0 4 ता 11 ने अपने हक हिस्सा का परित्याग नियमानुसार सही किया है एवं गैरसायल स0 1 ता 3 के नाम उक्त भूमि जरिये बैयनामा दर्ज हुई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Rahul

है उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 25.08.2022 की सायल पालना करवाने के अधिकारी नही है उक्त निर्णय व डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ समक्ष लम्बित है। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरसायल स0 1 व 3 के नाम दर्ज है प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 को निर्णय पारित हुआ लेकिन उक्त निर्णय की पालना न होकर दिनांक 31.08.2022 को उक्त भूमि गैरसायल स0 1 ता 3 द्वारा खरीद की गई जो की नियमानुसार नही है। पत्रावली में प्रस्तुत पर्चा डिक्री दिनांक 25.08.2022 के मुताबिक अनवानी रामदास बनाम सुरस्ती प्रकरण संख्या 675/2022 डिक्री हुआ लेकिन उक्त डिक्री की पालना से पहले ही दिनांक 31.08.2022 को उक्त वाद भूमि बाबत बैयनामा अप्रार्थी स0 1 ता 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया है वाद भूमि में प्रार्थी का हक हिस्सा है या नही उक्त बिन्दु साक्ष्य सबूतों एवं तनकीआत के आधार पर मूल वााद में निर्णित होना है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीया को होगी न की अप्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा नीमला तहसील नोहर के खाता स0 57/53 की कुल 19.8430 हैक्ट भूमि व रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 67/64 की कुल 3.7190 हैक्ट भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 18/12/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर